न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2018-102(GCMS2018-00274)

बाज मोहम्मद पुत्र लालदीन मुसलमान
निवासी बैंगटीकलां, तहसील फलोदी
ज़िला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. पप्पुराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
2. ओमाराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
3. राणाराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
4. देदाराम पुत्र नैनाराम मेघवाल
5. नैनाराम पुत्र नाहरूराम मेघवाल
6. मोहनीदेवी पत्नी नैनाराम मेघवाल
   निवासीगण बैंगटीकलां, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
7. हजूर खां पुत्र लालदीन मुसलमान
   निवासी बैंगटीकलां, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
8. ग्राम पंचायत बैंगटीकलां
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
   (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 29 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 189/2015 अनवान बाज मोहम्मद बनाम पप्पुराम आदि

उपस्थित-
श्री रोशन लाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय

दिनांक : 23 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 189/2015 बाज मोहम्मद बनाम पप्पुराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 92 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बैंगटीकलां तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 48/1 रकबा 38 बीघा के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जून 2018 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसके चारो तरफ उनके द्वारा मेडबन्दी कर रखी है और बार-बार की गयी पैमाईश में अपीलाण्ट का कब्जा मौके पर सही पाया गया। मौके पर उनकी पक्की ढाणियां भी बनी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी की पूर्वी भूजा की तरफ खसरा संख्या 46 रकबा 179 बीघा भूमि रेस्पो. संख्या 1 से 6 की स्थित है और उक्त रेस्पो. जानबूझ कर गलत पैमाईश करवा कर अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। इस कारण विचारण न्यायालय में वादी-अपीलाण्ट द्वारा दावा पेश किया, जिसका प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से जबाब पेश कर पर विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। जिसके बाद प्रकरण साक्ष्य हेतु विचाराधीन रहने के दौरान राजस्व कैम्प शुरू होने पर विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अगस्त 2018 पारित करते हुए वादी-अपीलण्ट का दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में मामला विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 15 मई 2018 से आगे पेशी 29 जून 2018 निर्धारित की गयी, मगर दिनांक 19 जून 2018 की आदेशिका अनुसार मिसल राजस्व कैम्प लोक अदालत फलोदी में पेश होना उसी रोज बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर पत्रावली में शामिल किया जाना अंकित किया गया है। जबकि लोक अदालत कैम्प में केवल राजीनामा योग्य प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु चल रही थी, ऐसी स्थिति में पक्षकारान की साक्ष्य के बिना मूल वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता था।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि वादी-अपीलाण्ट द्वारा मिथ्या एवं गलत आधारों पर दावा पेश किया गया, प्रतिवादीगण-रेस्पो. द्वारा वादी-अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पर न तो कोई अतिकमण किया गया है और न ही ऐसी कोई मंशा है। बल्कि प्रतिवादीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 के 7 बीघा भू-भाग पर अपीलाण्ट-वादी द्वारा अतिकमण किया हुआ है जिसके संबंध में रेस्पो.-प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय तहसीलदार फलोदी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी की कार्यवाही में मौका जांच रिपोर्ट व उसके संलग्न नजरी नक्शें से खसरा संख्या 48 के खातेदारान बाज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मोहम्मद आदि द्वारा पप्पुराम आदि की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 की 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने की ताईद होती है। न्यायालय तहसीलदार फलोदी द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 1/2015 पप्पुराम व अन्य बनाम बाज मोहम्मद आदि में पारित निर्णय दिनांक 05 जनवरी 2016 पारित करते हुए पप्पुराम आदि की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 रकबा 179 बीघा 05 बिस्वा में से 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर बाज मोहम्मद आदि को संवत 2070 से अतिकमी घोषित किया जाकर जुर्माना आरोपित कर बेदखली के आदेश भी दिये गये। उक्त निर्णय के खिलाफ बाज मोहम्मद आदि द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 29/2016 बाज मोहम्मद व अन्य बनाम पप्पुराम आदि दिनांक 05 मई 2016 को खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के तहत प्रकरण संख्या 1/2015 पप्पुराम व अन्य बनाम बाज मोहम्मद आदि में पारित निर्णय दिनांक 05 जनवरी 2016 के खिलाफ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष अपील संख्या 29/2016 बाज मोहम्मद व अन्य बनाम पप्पुराम आदि प्रस्तुत की गयी, उसमें पारित निर्णय दिनांक 05 मई 2016 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में चाराजोई की गयी, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादी-अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 48/1 रकबा 38 बीघा की पूर्वी भूजा की तरफ स्थित आराजी खसरा संख्या 46 रकबा 179 बीघा 04 बिस्वा के खातेदारान प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 द्वारा दखलदांजी किया जाना जाहिर करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। मगर ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय एवं तर्कसंगत आधार प्रकट नहीं किया गया है जिससे वादी-अपीलाण्ट के इस अभिकथन की पुष्टि होती हो। इसके विपरीत प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत दस्तोवजात (न्यायालय तहसीलदार फलोदी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के तहत प्रकरण संख्या 1/2015 पप्पुराम व अन्य बनाम बाज मोहम्मद आदि में पप्पुराम आदि की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 46 रकबा 179 बीघा 05 बिस्वा में से 7 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर बाज मोहम्मद आदि को संवत 2070 से अतिकमी घोषित किया जाकर जुर्माना आरोपित कर बेदखली के आदेश जारी करते हुए पारित निर्णय दिनांक 05 जनवरी 2016 की नकल तथा उक्त निर्णय के खिलाफ बाज मोहम्मद आदि द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 29/2016 बाज मोहम्मद व अन्य बनाम पप्पुराम आदि खारिज करते हुए पारित निर्णय दिनांक 05 मई 2016 की नकल) जो विचारण न्यायालय की पत्रवली में उपलब्ध है, के अवलोकन वादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि पर अतिकमण किया हुआ होना भलीभांति प्रकट होता है।

न्यायालय तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2015 पप्पुराम व अन्य बनाम बाज मोहम्मद आदि में पारित निर्णय दिनांक 05 जनवरी 2016 के खिलाफ बाज मोहम्मद आदि द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 29/2016 बाज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मोहम्मद व अन्य बनाम पप्पुराम आदि दिनांक 05 मई 2016 का खारिज की जा चुकी है। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05 मई 2016 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन होना अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया, किन्तु इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण संख्या आदि का कोई विवरण अथवा नकल पेश नहीं की गयी। इन परिस्थितियों में अधिवक्ता रेस्पो. के इस कथन को बल मिलता है कि वादी-अपीलाण्ट द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा मिथ्या एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया, जो गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी उक्त वाद खारिज करने में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 जून 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर